ी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न मु. 71/2021

1 भूराराम पुत्र स्व. नोलाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
2 प्रभूराम पुत्र स्व. पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

बनाम

1 रूपाराम पुत्र झूमा पत्नी खंगाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर चूरू
2 रामेती पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर चूरू राज.
3 कालुराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू राज.
4 देवीलाल पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू राज.
5 कान्ता पुत्री भगवानाराम मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
6 लिछमा पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू राज.
7 श्रीमती रेवन्ती देवी पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर चूरू
8 सांवताराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
9 प्रेमाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
10 मंगली पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
11 प्रमेश्वरी पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
12 चौथी पत्नी स्व. खींवाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
13 प्रकाश पुत्र खींवाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
14 प्रभूराम पुत्र खींवाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
15 रामेश्वरलाल पुत्र खींवाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू राज.
16 भंवरी पुत्री खींवाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
17 भींका पुत्री खींवाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
18 जमना पुत्री खींवाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
19 शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़
20 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुजानगढ़
21 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर
22 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास
23 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू राज.

प्रतिवादीगण

1 बुधी पुत्री स्व. नोलाराम पत्नी स्व. किशनाराम जाति मेघवाल निवासी जोगलिया हाल आबाद वार्ड न. 24, नेक नगर बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
2 छोटूराम पुत्र स्व. नोलाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू राज.
3 तिलाराम पुत्र स्व. नोलाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू .
4 पांचाराम पुत्र स्व. नोलाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू राज.
5 गुलाबी देवी पत्नी स्व. पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू
6 ईश्वरराम पुत्र स्व. पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू राज.
7 नानुराम पुत्र स्व. पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू राज.
8 जेठाराम पुत्र स्व. पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू राज.

गौण प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

...त घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं ...मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955''

उपस्थित :–

1 वादीगण – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 18 गौण प्रतिवादी स. 1 ता 8
3 प्रतिवादी – पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक :– 13 /08/ 2021

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही उपाधिया खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 13.0764 (51–14बीघा), खसरा नम्बर 32 रकबा 14.5687 हैक्टेयर (57–12बीघा), खसरा नम्बर 77 रकवा 2.4155 हैक्टेयर (09–11 बीघा), खसरा नम्बर 8 रकबा 10.9012 हैक्टेयर (43–02 बीघा) कुल खसरे 4 कुल रकवा 40.9618 हैक्टेयर (161–19बीघा) संयुक्त खातेदारी की भूमि है उपरोक्त वर्णित वादगत खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण, प्रतिवादी सख्या 1 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 15 तथा गौण प्रतिवादीगण 2 ता 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। मुताविक कुर्सीनामा एवं साबका राजस्व रेकार्ड अनुसार उपरोक्त विवादित खसराजात की भूमि कुल रकबा 161 बीघा 19 विश्वा वादीगण के पूर्वज किशना व गंगाराम के खातेदारी अधिकारों की भूमि रही है। पूर्वज किशना के कोई जाइन्दा सन्तान नहीं हुई। स्व. किशना ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पुत्री झुमा के ज्येष्ठ पुत्र खींवाराम को उसकी बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया था और तब से खींवाराम बतौर खोलायत पुत्र स्व. किशना के पास रहा। लेकिन किशना द्वारा कागजी कार्यवाही और पंजीकृत खोलानामा की जानकारी नहीं होने के कारण स्व. किशना द्वारा पंजीकृत खोलानामा अपने जीवनकाल में नहीं करवाया जा सका। स्व. किशना के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी श्रीमती चौथां द्वारा पंजीकृत गोदनामा दिनांक 26/7/1976 को कार्यालय उप पंजीयक सुजानगढ़ में पंजीकृत करवाया गया। उपरोक्त विवादित खसरों की भूमि में प्रतिवादी सख्या 1, 5 ता 11, 16 ता 18 एवं गौण प्रतिवादी सख्या 1 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी सख्या 5, 6, 16 ता 18 एवं गौण प्रतिवादी सख्या 1 विवाहित है एवं विवाह के बाद ही उक्त प्रतिवादीयान् के द्वारा अपना हिस्सा तर्क किया जा चुका है, विवादित खसरों में उक्त प्रतिवादीयान् का कभी कोई कब्जा काश्त एवं कब्जा दखल नहीं रहा है। आपसी जुबानी भाई बन्ट अनुसार उपरोक्त विवादित खसराजात के चिपते खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 5.4633 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 6.8923 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकवा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.4552 हैक्टेयर कुल रकबा 52 बीघा 08 बिश्वा में प्रतिवादी सख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 7 ता 11 के हिस्सा पांती में की हुई है। उपरोक्त विवादित खसराजात की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण/गौण प्रतिवादीयान् के पूर्वजों द्वारा आपस में जुबानी तौर पर विभाजन करके अलग अलग खसरों पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विवादित खेत खसरों में खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 43 बीघा 2 बिश्वा सम्पूर्ण तथा खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 51 बीघा 14 बिश्वा कुल रकबा 94 बीघा 16 बिश्वा स्व. नोलाराम वल्द गंगाराम के वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है। स्व. नोलाराम के वारिसान की पॉच पांती एवं कब्जा काश्त अनुसार खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 43–02 बीघा में से उतरी पश्चिमी तरफ की 10–05 बीघा गौण प्रतिवादी स. 3 के कब्जा काश्त में, उतरी पूर्वी पाखी की 12–07 बीघा वादी स. 2 व गौण प्रतिवादी स. 5 ता 8 के कब्जा काश्त में, दक्षिणी पूर्वी पाखी की 10–05 गौण प्रतिवादी स. 2 के कब्जा काश्त में, दक्षिणी पश्चिमी पाखी की 10–05 बीघा वादी स. 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 20 रकवा 51–14 बीघा में से 8–13 बीघा वादी स. 2 दो, गौण प्रतिवादी स. 5 ता 8 के दक्षिणी–पश्चिमी पाखी की कब्जा काश्त में, भूमि तादादी 8–14 बीघा दक्षिणी–पूर्वी पाखी की गौण प्रतिवादी स. 2 के कब्जा काश्त में, भूमि तादादी 8–14 बीघा वादी स. 1 एवं गौण प्रति. स. 2 के बीच की पूर्वी पाखी की गौण प्रतिवादी स. 3 के कब्जा काश्त में, भूमि तादादी 8–14 बीघा उतरी–पूर्वी पाखी की वादी स. 1 के कब्जा काश्त में तथा भूमि तादादी 16–19 बीघा उतरी–पश्चिमी पाखी की गौण प्रतिवादी स. 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसी प्रकार खसरा नम्बर 32 रकबा 57–12 बीघा में से पश्चिमी पाखी की 18 बीघा

लगातार...... 3 पर

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

स. 2से 4 के कब्जा काश्त में तथा खसरा नम्बर 32 की बाकी भूमि 39–12 बीघा व खसरा नम्बर 77 रकबा 9–11 बीघा प्रतिवादी स. 12 ता 15 के कब्जा काश्त में है जिनकी अपने अपने हिस्सा पांती अनुसार हदबन्दी सीवें कायम की हुई है, बारहमासी ढ़ाणीयों के रूप में निवास कर रहे है। उपरोक्त विवादित खसराजात की भूमि सम्पति में वादीगण का हिस्सा पांती राजस्व रेकार्ड में कब्जा काश्त अनुसार नहीं होकर गलत दर्ज चला आ रहा है। विवादित खसराजात की भूमि सम्पति में प्रतिवादी सख्या 1, 5 ता 11 व 16 ता 18 एवं गौण प्रतिवादी सख्या 1 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। राजस्व कर्मचारीयों की भूलवंश राजस्व रेकार्ड में नाम गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त करवाने का वैधानिक अधिकार वादीगण को प्राप्त है। जमीनो के बाजार भाव बढ़ने के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 18 के मन में लालच आ गया है और प्रतिवादीगण वादगत खेतों में कब्जा काश्त से अधिक गलत खातेदारी के आधार पर दर्ज भूमि को हस्तान्तरित करने की कुचेष्ठा में है जिसका प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त नहीं होने के कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 ता 18 को उक्त राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवा लेने का निवेदन किया तो काफी समय तक उक्त प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। अन्त में दिनांक 01/7/2021 को प्रतिवादीगण ने वादगत खसराजात की भूमि के राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया और दिनांक 1/7/2021 को ऐलानिया धमकी दी की वादगत खसराजात में भले की हमारा कब्जा अधिकारी नहीं हो फिर में राजस्व रेकार्ड में चल रही गलत खातेदारी के आधार पर तुम्हारे कब्जा काश्त की भूमि को बैक के रहन रख देगे या भू माफिया लोगों को बेच देगे आदि आदि ऐलानिया धमकीया दी। प्रतिवादीगण भूमाफिया लोगो से साठगांठ रखने वाले बलशाली व्यक्ति है तथा किसी भी वक्त वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में विक्रय हस्तान्तरित कर सकते है तथा वादीगण को बेदखल कर सकते है इस कारण मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जो नोटिस से छूट लेकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस भूमि पर प्रतिवादी सख्या 1, 5 ता 11 व 16 ता 18 एवं गौण प्रतिवादी सख्या 1 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है उसको किसी गलत अंकन के आधार पर वादीगण को उसके मालिकाना काबिजाना हक से वंचित नहीं किया जा सकेगा। विवादित खसराजात की भूमि रोही उपाधिया वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण के पूर्वजो के वक्त की विरास्तन सम्पति है जिस पर कब्जा काश्त साधिकार पूर्वक चला आ रहा है जिससे मामला प्रथम दृष्टया सारवान है तथा वादीगण को वादाधार प्राप्त है। दावा उचित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है आदि आदि निवेदन कर अनुतोष चाहा की घोषित किया जाये कि विवादित खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 13.0764 है. (51–14बीघा), खसरा नम्बर 32 रकबा 14.5687 हैक्टेयर (57–12बीघा), खसरा नम्बर 77 रकबा 2.4155 हैक्टेयर (09–11 बीघा), खसरा नम्बर 8 रकबा 10.9012 हैक्टेयर (43–02 बीघा) कुल खसरे 4 कुल रकबा 40. 9618 हैक्टेयर (161–19बीघा) में प्रतिवादी सख्या 1, 5 ता 11 व 16 ता 18 एवं गौण प्रतिवादी सख्या 1 का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है जिनको विवादित खसराजात से हटाया जाकर विवादित खसराजात की भूमि का विभाजन मुताबिक कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 43–02 बीघा में से उतरी पश्चिमी तरफ की 10–05 बीघा गौण प्रतिवादी स. 3 के, उतरी पूर्वी पाखी की 12–07 बीघा वादी स. 2 एक व गौण प्रतिवादी स. 5 ता 8 कें, दक्षिणी पूर्वी पाखी की 10–05 बीघा गौण प्रतिवादी स. 2 के, दक्षिणी पश्चिमी पाखी की 10–05 बीघा वादी स. 1 एक के तथा खसरा नम्बर 20 बीस रकबा 51–14 बीघा में से 8–13 बीघा वादी स. 2, गौण प्रतिवादी स. 5 ता 8 के दक्षिणी–पश्चिमी पाखी कीं व भूमि तादादी 8–14 बीघा दक्षिणी–पूर्वी पाखी की गौण प्रतिवादी स. 2 कें व भूमि तादादी 8–14 बीघा वादी स. 1 एक एवं गौण प्रति. स. 2 के बीच की पूर्वी पाखी की गौण प्रतिवादी स. 3 कें तथा भूमि तादादी 8–14 बीघा उतरी–पूर्वी पाखी की वादी स. 1 एक के तथा भूमि तादादी 16–19 बीघा उतरी–पश्चिमी पाखी की गौण प्रतिवादी स. 4 के तथा खसरा नम्बर 32 रकबा 57–12 बीघा में से पश्चिमी पाखी की 18–00 बीघा प्रतिवादी स. 2 से 4 के कब्जा काश्त में तथा खसरा नम्बर 32 की बाकी भूमि 39–12 बीघा व खसरा नम्बर 77 रकबा 9–11 बीघा प्रतिवादी स. 12 ता 15 मुताबिक कब्जा काश्त विभाजन किया जायें। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावें कि वादगत खेत खसरो की गलत खातेदारी की आधार पर विक्रय बन्धक हस्तान्तरण नहीं किया जावें आदि आदि

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार......4 पर

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स. 1 ता 18 की ओर से श्री मो. आमीन शेख ने वकालतनामा मय नोटेरी से तस्दीक शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रतिवादी सख्या 19 ता 21 से प्राप्त ऋण का चुकारा कर बैंक का अदेयता प्रमाण पत्र एवं रहनमुक्त जमाबन्दी प्रस्तुत की। प्रतिवादी सख्या 22 व 23 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी स. 2 प्रभूराम एवं साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी स. 14 ने सशपथ बयान प्रस्तुत किये गये। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2074–2077 खेत खाता न. 80 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने पूर्वजो के वक्त से कब्जा काश्त एवं बाहमी बन्टवारा अनुसार खातेदारी घोषणा करने का निवेदन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेज राजीनामा एवं साक्ष्य वादी, साक्ष्य प्रतिवादी का भलीभांती ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज राजीनामा अनुसार वादगत खेतो की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 18 एवं गौण प्रति. 1 ता 8 के नाम रही है जबकी वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार एवं पक्षकारान् के राजीनामा व बाहमी बन्टवारा मुताबिक प्रतिवादी सख्या 1, 5 ता 11 व 16 ता 18 व गौण प्रति. 1 का वादगत खसराजात में कोई हित कब्जा या अधिकार नहीं रहा है जिसका स्पष्ट अंकन वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत सशपथ बयानो में किया गया है। वर्तमान रेकॉर्डेड खातेदार खेताराम व खींवाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान पक्षकार संयोजित है। वादी का वाद बाबत घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 13.0764 (51–14बीघा), खसरा नम्बर 32 रकवा 14.5687 हैक्टेयर (57–12बीघा), खसरा नम्बर 77 रकबा 2.4155 हैक्टेयर (09–11 बीघा), खसरा नम्बर 8 रकबा 10.9012 हैक्टेयर (43–02 बीघा) कुल खसरे 4 कुल रकबा 40.9618 हैक्टेयर (161–19बीघा) रोही उपाधिया के वर्तमान खातेदारी रेकार्ड को दुरूस्त कर वर्तमान खातेदार प्रतिवादी सख्या 1, 5 ता 11 व 16 ता 18 व गौण प्रति. 1 का नाम हटाया जाकर उक्त खेत की खातेदारी रेकार्ड में मुताबिक राजीनामा व बन्टवारा खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 43–02 बीघा में से उतरी पश्चिमी तरफ की 10–05 बीघा गौण प्रतिवादी स. 3 के, उतरी पूर्वी पाखी की 12–07 बीघा वादी स. 2 एक व गौण प्रतिवादी स. 5 ता 8 कें, दक्षिणी पूर्वी पाखी की 10–05 बीघा गौण प्रतिवादी स. 2 के, दक्षिणी पश्चिमी पाखी की 10–05 बीघा वादी सः 1 एक के तथा खसरा नम्बर 20 बीस रकबा 51–14 बीघा में से 8–13 बीघा वादी स. 2, गौण प्रतिवादी स. 5 ता 8 के दक्षिणी–पश्चिमी पाखी कीं व भूमि तादादी 8–14 बीघा दक्षिणी–पूर्वी पाखी की गौण प्रतिवादी स. 2 कें व भूमि तादादी 8–14 बीघा वादी स. 1 एवं गौण प्रति. स. 2 के बीच की पूर्वी पाखी की गौण प्रतिवादी स. 3 कें तथा भूमि तादादी 8–14 बीघा उतरी–पूर्वी पाखी की वादी स. 1 एक के तथा भूमि तादादी 16–19 बीघा उतरी–पश्चिमी पाखी की गौण प्रतिवादी स. 4 के तथा खसरा नम्बर 32 रकबा 57–12 बीघा में से पश्चिमी पाखी की 18–00 बीघा प्रतिवादी स. 2 से 4 के कब्जा काश्त में तथा खसरा नम्बर 32 की वाकी भूमि 39–12 बीघा व खसरा नम्बर 77 रकबा 9–11 बीघा प्रतिवादी स. 12 ता 15 के पृथक पृथक दर्ज किय जाकर लगान कायम किया जावे। प्रतिवादी स. 19 व 22 का हित सुरक्षित रखते हूए रहन का यथावत इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण स. 1, 5 ता 11 व 16 ता 18 व गौण प्रति. 1 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वादीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा नहीं करें। उपरोक्तानुसार नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार बीदासर को अलग से तहरीर जारी की जावे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13 –08– 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner